प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2015 को

सम्पूर्ण भारत वर्ष में 12 दिसम्बर 2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किये जाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी एवं इसके अधीन तहसील विधिक सेवा समितियों में भी आगामी 12 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सीविल जज सी0डि0, बाराबंकी ने बताया कि विगत वर्षो की भांति राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लम्बित मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक संबंधी वाद, व्यवहारिक वाद, मोटर वाहन अधिनियम, भरण पोषण के वाद, वैवाहिक या पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले, श्रम अधिनियम, जिला परिषद एवं नगर पालिका परिषद अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, मनोरंजन कर के मामले, राजस्व वाद, स्टाम्प एक्ट, चकबन्दी वाद, दाखिल खारिज, फौजदारी वाद, जिला कारागार में निरूद्ध इच्छुक बंदियों के छोटे–छोटे आपराधिक मामले उनकी जुर्म संस्वीककृति के आधार पर प्री–लिटिगेशन के माध्यम से निस्तारण किया जायेगा।

भवदीय

16/11/15

सचिव / सिविल जज (सी0डि0),
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय, बाराबंकी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1–श्री कमलेश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट / विधि संवाददाता, दैनिक जागरण, बाराबंकी
2–श्री कौशल किशोर त्रिपाठी, एडवोकेट / विधि संवाददाता, राष्ट्रीय सहारा, बाराबंकी ।
3–श्री रनवीर सिंह, एडवोकेट / विधि संवाददाता, हिन्दुस्तान, बाराबंकी
4–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट / विधि संवाददाता, अमर उजाला, बाराबंकी
5–चीफ ब्यूरो, स्वतन्त्र भारत, बाराबंकी।
6–चीफ ब्यूरो, जनसंदेश, बाराबंकी।
7–चीफ ब्यूरो, श्री टाईम्स, बाराबंकी।

16/11/15

सिविल जज (सी0डि0) / सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय, बाराबंकी

upload on website

18/11/15